# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 114/2021

विमलेश पुत्र सुरेन्द्र जाति धाकड़ निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0**

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री लवकुल गौड़

दायरा दिनांकः 15.9.2021 निर्णय दिनांक : 11.11.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 48 खसरा नं0 162/572 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 162/575 रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है0 वाके ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल व आराजी खाता संख्या 269 खसरा नं0 4591 रकबा 0.98 है0, खसरा नं0 4592 रकबा 1.18 है0, खसरा नं0 4593/4750 रकबा 0.17 है0 वाके मांगरोल तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम विमलेश पुत्र सुरेन्द्रकुमार के स्थान पर बबलू पुत्र सुरेन्द्रकुमार दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम विमलेश पुत्र सुरेन्द्रकुमार है। जिसको वादी बबलू पुत्र सुरेन्द्रकुमार के स्थान पर विमलेश पुत्र सुरेन्द्रकुमार दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में विमलेश/बिमलेश पुत्र सुरेन्द्रकुमार दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में बबलू पुत्र सुरेन्द्रकुमार के स्थान पर विमलेश पुत्र सुरेन्द्रकुमार दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम बबलू पुत्र सुरेन्द्रकुमार के स्थान विमलेश पुत्र सुरेन्द्रकुमार दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 15.9.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2021/986 दिनांक 11.11.2021 के जिसके अनुसार बबलू पुत्र सुरेन्द्रकुमार जाति घाकड को विमलेश पुत्र सुरेन्द्रकुमार जाति धाकड के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति बबलू पुत्र सुरेन्द्रकुमार जाति घाकड व विमलेश पुत्र सुरेन्द्रकुमार जाति धाकड एक ही

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम बबलू पुत्र सुरेन्द्रकुमार के स्थान पर बबलू उर्फ विमलेश पुत्र सुरेन्द्रकुमार सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं एवं नरेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र जाति धाकड़ निवासी ईश्वरपुरा के आधार पर आराजी खाता संख्या 48 खसरा नं0 162/572 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 162/575 रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है0 वाके ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल व आराजी खाता संख्या 269 खसरा नं0 4591 रकबा 0.98 है0, खसरा नं0 4592 रकबा 1.18 है0, खसरा नं0 4593/4750 रकबा 0.17 है0 वाके मांगरोल तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम बबलू पुत्र सुरेन्द्रकुमार के स्थान पर बबलू उर्फ विमलेश पुत्र सुरेन्द्रकुमार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प ईश्वरपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुजर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner